वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

सा.का.नि. 92.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांख्यिकी और आसूचना निदेशालय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

(1) (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और आसूचना निदेशालय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क) समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) सांख्यिकी और आसूचना निदेशालय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 1999 में,-

(क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

(ख) अनुसूची में,-

(i) पद्धति विश्लेषक से संबंधित क्रमांक संख्या 1 पद के सामने,-

(अ) स्तंभ (4) में,-

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

''वेतन मैट्रिक्स में स्तर'';

(ii) प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

''वेतन मैट्रिक्स (67700 – 208700) में स्तर ।। '';

(**आ**) स्तंभ (12) में, शीर्षक "प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति'' के अधीन शब्दों और अंकों "8000 – 13500 रु. वेतनमान'' और "6500 – 10500 रु. वेतनमान'' के स्थान पर क्रमश: "वेतन मैट्रिक्स (56100 – 177500) में स्तर 10'' और "वेतन मैट्रिक्स (44900 – 142400) में स्तर 7'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों को रखा जाएगा;

(ii) कार्यक्रमक से संबंधित क्रमांक संख्या 2 पद के सामने,-

(अ) स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स (56100 – 177500) में स्तर 10"

(आ) स्तंभ (12) में,-

(i) 'प्रोन्नति' शीर्षक के अधीन, शब्दों और अंकों "5500 – 9000 रु. के वेतनमान" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स (35400 – 112400) में स्तर 6" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों को रखा जाएगा ;

(ii) ''प्रतिनियुक्ति'' शीर्षक के अधीन, शब्दों और अंकों "6500 – 10500 रु. वेतनमान'' और "5500 – 9000 रु. वेतनमान'' के स्थान पर क्रमश: "वेतन मैट्रिक्स (44900 – 142400) में स्तर 7'' और "वेतन मैट्रिक्स (35400 – 112400) में स्तर 6'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों को रखा जाएगा।

[फा. सं. 10ए12/8/16-प्रशा. II बी]

नगेन्द्र कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, संख्या सा.का.नि. 297, तारीख 25 अगस्त, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th March, 2018

G.S.R. 92.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Statistics and Intelligence (Central Excise and Customs) Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 1999, namely:-

1 (1) These rules may be called the Directorate of Statistics and Intelligence (Central Excise and Customs) Group 'A' Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Statistics and Intelligence (Central Excise and Customs) Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 1999, -

(a) for rule 2, the following shall be substituted, namely: -

"2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. – The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.";

(b) in the Schedule, -

(i) against the post at serial number 1 relating to System Analyst, -

(A) in column (4), -

(I) for the heading the following shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix";

(II) for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Level 11 in the pay matrix (67700-208700)";

(B) in column (12), under the heading "Promotion/Deputation", for the words and figures "the scale of Rs. 8000-13,500" and "scale of Rs. 6500-10,500", the words, figures and brackets "level 10 in the pay matrix (56100-177500)" and "level 7 in the pay matrix (44900-142400)" respectively, shall be substituted;

(ii) against the post at serial number 2 relating to Programmer, -

(A) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Level 10 in the pay matrix (56100-177500)"

(B) in column (12), -

(I) under the heading "Promotion:", for the words and figures "the pay scale of Rs. 5500-9000", the words, figures and brackets "level 6 in the pay matrix (35400-112400)", shall be substituted;

(II) under the heading "Deputation:", for the words and figures "the scale of Rs. 6500-10500" and "the scale of Rs. 5500-9000", the words, figures and brackets "level 7 in the pay matrix (44900-142400)" and "level 6 in the pay matrix (35400-112400)" respectively, shall be substituted.

[F. No. 10A12/8/16-Ad.II B]

NAGENDRA KUMAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 297 dated the 25th August, 1999.